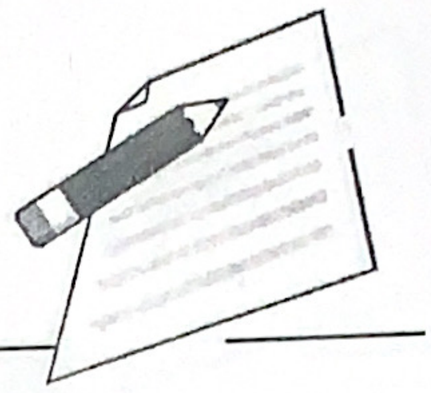

टिप्पणी

3

जन माध्यमों की भूमिका तथा प्रभाव

एक विशाल लोकतंत्र के तौर पर भारत को बहुत सारे विकासशील देश एक आदर्श के रूप में समझते हैं। हमारे देश में केन्द्र तथा राज्य की सरकारें होती हैं जिन्हें जनता चुनती है। हमारी सरकारें हमारे ही चुने गये जन प्रतिनिधियों द्वारा चलायी जाती हैं जिन्हें राज्य में विधानसभा सदस्य (एम.एल.ए.) तथा केन्द्र में लोकसभा सदस्य (एम.पी.) कहते हैं। एक आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार के निम्नलिखित अंग हैं :

क. विधायिका, या विधानसभा और लोकसभा, जो कानून बनाने तथा देश की व्यवस्था चलाने के लिए उत्तरदायी होती है।

ख. कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् जो राज्य का संचालन करते हैं तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् जो देश का संचालन करते हैं।

ग. न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय जो यह निर्णय करते हैं कि कानून तथा संवैधानिक नियमों का पालन चुनी हुई सरकार कर रही है या नहीं।

ये संस्थान सभी देशवासियों के कल्याण तथा विकास के लिए देश की सरकार का संचालन करते हैं। एक लोकतंत्र में जनता को जानना चाहिए कि तीनों संस्थान – विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायापालिका जनता के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार इन तीनों संस्थानों को भी जानना जरूरी होता है कि वे जो कर रहे हैं. उस पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है। जन माध्यम की मुख्य भूमिका जनता तथा सरकार के बीच सेतु का कार्य करना है। इस संदर्भ में जन माध्यमों को लोकतंत्र का चौथा संस्थान कहा जा सकता है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित करने योग्य होंगे:–

- लोकतंत्र में जन माध्यमों की भूमिका की व्याख्या;

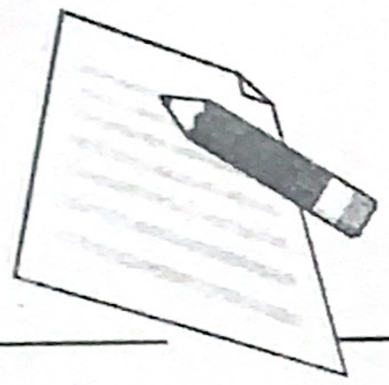

टिप्पणी

- समाज में जन माध्यमों की भूमिका का वर्णन ;
- जन माध्यमों की आचार संहिता के अर्थ की व्याख्या ;
- जन माध्यमों के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की गणना।

3.1 जनसंचार और लोकतंत्र

आइये हम देंखें किस तरह समाचारपत्र, रेडियो तथा टेलीविजन जैसे जन संप्रेषण जनता तथा सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। एक उदाहरण लीजिये। सरकार निर्णय लेती है कि पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य या तो घटाए जाएँगे या बढ़ाए जाएँगे। अब सरकार का यह फैसला लोगों तक पहुँचाना है। यह कार्य जन माध्यम करते हैं। जन माध्यम न केवल इस बाबत लोगों को सूचना देते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

अब हम एक अन्य उदाहरण लें। आपके राज्य का कृषि विभाग या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान चावल या गेहूँ की एक ऐसी उन्नत किस्म खोज लेता है जिससे ज्यादा पैदावार पायी जा सकती है। यहाँ भी कृषक को इस नयी किस्म के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, कि किस प्रकार इस बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए या इसके प्रयोग से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। पुनः, जन माध्यम ही यह कार्य भी करते हैं। परन्तु जन माध्यम यह कार्य कैसे करते हैं? सूचनाओं के प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे मुद्रण माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, परम्परागत माध्यम और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगले मॉड्यूल में आप इस विषय में विस्तार से समझेंगे।

सरकारी मीडिया एजेंसियाँ/विभाग

राज्य तथा केन्द्र की सरकारें किस प्रकार लोगों को अपनी नीतियों की सूचनाएँ देती हैं?

सरकारें जन माध्यमों का सहयोग लेती हैं और साथ ही सरकारी मीडिया एजेंसियाँ तथा विभाग भी यह कार्य करते हैं। केन्द्र सरकार की यह एजेंसियाँ केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये एजेंसियाँ और विभाग

क. सूचना तथा

ख. प्रसारण करते हैं।

यह एजेंसियाँ सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी लोगों को देती हैं।

इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य सरकारें अपनी मीडिया एजेंसियों के माध्यम से अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों की सूचना को प्रसारित करती हैं। 'विज्ञापन तथा जनसम्पर्क' मॉड्यूल में आप इन एजेंसियों के विषय में अधिक जान सकेंगे।

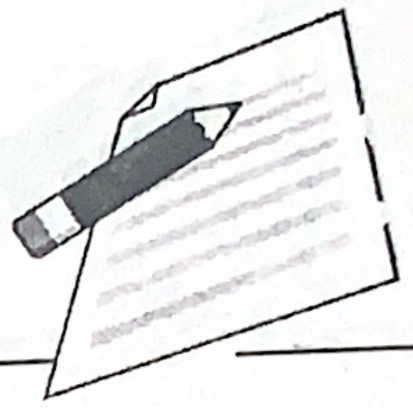

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 3.1

1. समुचित शब्द/शब्दों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये–

   (i) .....दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

   (ii) भारत में सरकार.....द्वारा संचालित होती है।

   (iii) जन माध्यम लोगों को.....द्वारा उठाये गये कदम की .... देते हैं।

   (iv) जन माध्यमों को एक लोकतंत्र में .....संस्थान समझा जा सकता है।

   (v) जन माध्यमों के प्रयोग से लोगों की.....और..... ....में बदलाव लाया जा सकता है।

2. आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार के तीन आवश्यक संस्थानों का नाम बताइये।

3. कोई दो तरीके बताइये जिनसे जन माध्यम लोकतंत्र में सहयोग कर सकें।

3.2 जन माध्यमों के कार्य तथा उत्तरदायित्व

जन माध्यम एक व्यक्ति तथा समाज के लिए सूचना के विशाल स्रोत हैं। इससे पहले के भाग में आपने लोकतंत्र में जन माध्यमों की भूमिका के विषय में जाना। अब हम देखें किस प्रकार जन माध्यम परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं।

- ***जन माध्यम परिवर्तन लाने में सहयोग कर सकते हैं।***

  जन माध्यमों के उपयोग से लोगों की आदतों तथा दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, विभिन्न रोगों जैसे कुष्ठ या एच.आई.वी.। एड्स के विषय में हम सब की समझ त्रुटिपूर्ण है। हममें से कई लोग समझते हैं कि इन रोगों से प्रभावित व्यक्तियों का स्पर्श कर लेने से ही इनका संक्रमण हो जाता है। आपने रेडियो पर ऐसे संदेश सुने होंगे या टेलीविजन पर देखा होगा या ऐसे संदेश पढ़े होंगे जो हमें बताते हैं कि एच.आई.वी./एड्स के रोगी के स्पर्श मात्र से इस रोग का संक्रमण नहीं होता है।

  इसी प्रकार पोलियो उन्मूलन के लिये भी विशेष कार्यक्रम संचालित किया जाता है और इससे सम्बन्धित संदेश का प्रसार जन माध्यमों द्वारा ही किया जाता है। ये संदेश लोगों को सूचित करते हैं कि बच्चों को पोलियों बूँद पिलाने की जरूरत क्यों है और कौन सा दिन "पोलिया दिवस" निर्धारित किया गया है। पोलियो

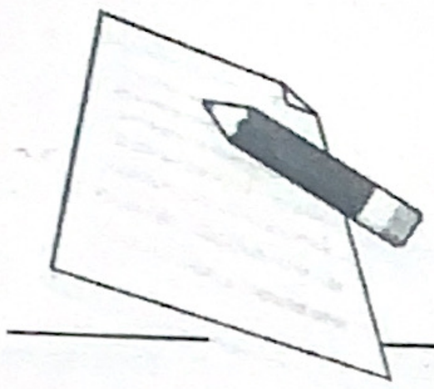

टिप्पणी

दिवस पर जितना अधिक संभव हो उतने बच्चों को पोलियो बूँद पिलाने की विशेष व्यवस्था की जाती है।

परिवर्तन का अर्थ यह भी है कि स्थितियाँ पहले से बेहतर हों। एक देश के विकास की अवधारणा, फिर से, एक परिवर्तन का विषय है, जब पुराने तौर–तरीके तथा उपकरण बदल दिये जाते हैं और नये, बेहतर तथा अधिक सक्षम साधन अपनाए जाते हैं। इस परिवर्तन के लाने के लिए किए जाने वाले संप्रेषण में जन माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यक सूचनाएँ देकर और कभी–कभी कौशल भी सिखा कर, जन माध्यम ऐसे परिवर्तन ला सकते हैं। आप अब पूछ सकते हैं कि मीडिया कौशल किस प्रकार सिखा सकता है। टेलीविजन जैसे जन माध्यम पर कार्य करके उसका प्रदर्शन किया जाता है और बताया जा सकता है कि यह कार्य कैसे हुआ। आपने टेलीविजन पर यह बताते किसी को देखा होगा कि कैसे आधुनिक रसोई उपकरण, का इस्तेमाल करके विभिन्न व्यंजन पकाए जाते हैं।

- ***जन माध्यमों ने विश्व को छोटा बनाया है और करीब लाया है।***

जन माध्यमों की तीव्र गति के चलते दुनिया भर के लोग आज एक–दूसरे के अधिक निकट आ गये हैं। उदाहरण के लिए जब तुम भारत तथा अन्य देश के बीच इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में चल रहा क्रिकेट मैच टेलीविजन पर उसी समय देखते हो जब यह चल रहा होता है तो तुम्हें लगता है कि तुम भी उसी स्टेडियम की भीड़ का एक हिस्सा हो। कहीं भी घट रही दुखद या सुखद घटनाओं को उसी समय देखा जा सकता है। कभी–कभी हमें लगता है कि सारा विश्व एक बड़ा परिवार है। तुमने "वैश्विक ग्राम" (ग्लोबल विलेज) शब्द सुना होगा। इसका अर्थ यह है कि दुनिया सिकुड़ रही है तथा एक गाँव में तब्दील हो रही है। हम दुनिया भर में कहीं भी जाते हैं, हमें एक ही प्रकार के उत्पाद जैसे शीतलपेय, टेलीविजन, धुलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि मिलते हैं। यहीं नहीं, हमें एक ही प्रकार के विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट की वजह से भी लोग तथा देश अब एक–दूसरे के अधिक निकट आते जा रहे हैं।

- ***जन माध्यम उत्पादों के वितरण को प्रोत्साहित करता है।***

उपभोक्ता उद्योग द्वारा जन माध्यम का उपयोग विज्ञापन के माध्यम से अपने उत्पाद या सेवा के विषय में जानकारी देने के लिए भी किया जाता है। विज्ञापन के बिना लोग उन विभिन्न उत्पादों (साबुन से तेल तक या टीवी सेट से कार तक) तथा सेवाओं (बैंकिंग, बीमा, अस्पताल आदि) के बारे में तथा उनके मूल्य नहीं जान पायेंगे जो बाजार में उपलब्ध हैं। इस तरह जन माध्यम उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों का सहयोग करते हैं।

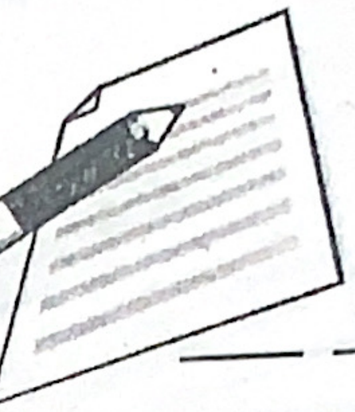

टिप्पणी

3.3 जन माध्यम की आचार संहिता

अब तक हमने देखा कि जन माध्यम कितने सशक्त होते हैं। अपने स्वाभाविक रूप से जन माध्यम तथा इसमें कार्यरत लोग जैसे अखबार, रेडियो और टेलीविजन के पत्रकार शक्तिशाली बन जाते हैं। अतः राजनीतिज्ञ, नौकरशाह तथा पुलिस उन्हें एक भय से देखते हैं। सामान्यतः लोग माध्यमों में अपना जिक्र नहीं चाहते जबकि समाचार उनके पक्ष में न हो। जब पत्रकार उनकी प्रशंसा करते हें तो वे खुश रहते हैं। अतः लोग माध्यमों से मित्रवत सम्बन्ध रखना चाहते हैं। लेकिन जन माध्यमों के लिए यह शक्ति गहन उत्तरदायित्व के साथ मिलती है। यदि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग गलत काम के लिए या दूसरों को तकलीफ देने के लिए करते हैं तो लोग उन पर विश्वास करना बन्द कर देंगे। जैसा कि अन्य पेशों, कानून तथा चिकित्सा में होता है, जन माध्यमों के लिए भी आचार संहिता या एक दिशा–निर्देश की आवश्यकता होती है जिससे वे जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत। वकील या डॉक्टर के मामले में स्पष्ट आचार संहिता बनायी गयी है और जो भी इसका उल्लंघन करता है वह दण्डित किया जाता है या पेशे से हटा दिया जाता है। लेकिन जन माध्यमों के मामले में मात्र कुछ दिशा–निर्देश ही निर्धारित हैं तथा कोई कठोर आचार संहिता नहीं है। भारतीय प्रेस परिषद् ऐसे संगठनों में से एक है जो आचार संहिता पर दिशा–निर्देश जारी करता है। पेशे का नाम स्वच्छ रखने के लिए मीडिया पेशेवरों को कुछ आचार संहिताओं का पालन करना होता है जो निम्नलिखित हैं –

क. ***शुद्धता*** - मीडियाकर्मियों द्वारा अखबार, रेडियो, टेलीविजन तथा इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गयी सूचनाएँ सही होनी चाहिए। यदि यह गलत या आधारहीन हैं तो इससे किसी व्यक्ति संस्थान या देश के हित पर क्षति पहुँच सकती है। शुद्धता के लिए मीडियाकर्मी को तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। उदाहरणार्थ यदि किसी दुर्घटना में मात्र 50 लोग मारे जाते हैं तो मीडिया को यह संख्या 200 या 500 नहीं बताना चाहिए। यदि एक मीडियाकर्मी किसी के विरुद्ध लिखता है या किसी पर बेईमानी का आरोप लगाता है तो उस व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए।

ख. ***विश्वस्तता*** - एक मीडियाकर्मी को विभिन्न स्रोतों द्वारा बतायी गयी सूचना की विश्वस्तता बनाये रखना होता है।

ग. ***स्रोत का बचाव*** - गुप्त सूचनाएँ बताने वाले स्रोत को कभी मीडियाकर्मी को उद्घाटित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि एक सरकारी अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध कराता है, तो मडियाकर्मी को किसी प्रकार की क्षति से बचाव के लिए उस व्यक्ति का नाम उद्घाटित नहीं करना चाहिए।

घ. ***गोपनीयता का अधिकार*** - एक पत्रकार को किसी व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। इससे आशय है कि किसी सामान्य नागरिक के निजी जीवन से सम्बन्धित बातें पत्रकार को नहीं लिखनी चाहिए।

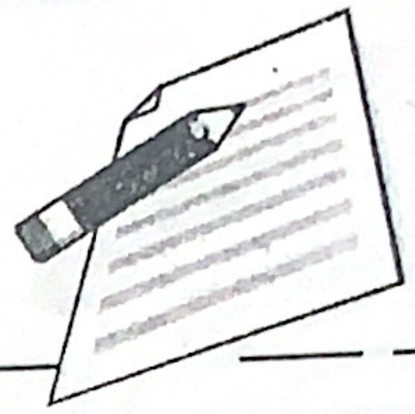

टिप्पणी

3.3 जन माध्यम की आचार संहिता

अब तक हमने देखा कि जन माध्यम कितने सशक्त होते हैं। अपने स्वाभाविक रूप से जन माध्यम तथा इसमें कार्यरत लोग जैसे अखबार, रेडियो और टेलीविजन के पत्रकार शक्तिशाली बन जाते हें। अतः राजनीतिज्ञ, नौकरशाह तथा पुलिस उन्हें एक भय से देखते हैं। सामान्यतः लोग माध्यमों में अपना जिक्र नहीं चाहते जबकि समाचार उनके पक्ष में न हो। जब पत्रकार उनकी प्रशंसा करते हें तो वे खुश रहते हैं। अतः लोग माध्यमों से मित्रवत सम्बन्ध रखना चाहते हैं। लेकिन जन माध्यमों के लिए यह शक्ति गहन उत्तरदायित्व के साथ मिलती है। यदि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग गलत काम के लिए या दूसरों को तकलीफ देने के लिए करते हैं तो लोग उन पर विश्वास करना बन्द कर देंगे। जैसा कि अन्य पेशों, कानून तथा चिकित्सा में होता है, जन माध्यमों के लिए भी आचार संहिता या एक दिशा–निर्देश की आवश्यकता होती है जिससे वे जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत। वकील या डॉक्टर के मामले में स्पष्ट आचार संहिता बनायी गयी है और जो भी इसका उल्लंघन करता है वह दण्डित किया जाता है या पेशे से हटा दिया जाता है। लेकिन जन माध्यमों के मामले में मात्र कुछ दिशा–निर्देश ही निर्धारित हैं तथा कोई कठोर आचार संहिता नहीं है। भारतीय प्रेस परिषद् ऐसे संगठनों में से एक है जो आचार संहिता पर दिशा–निर्देश जारी करता है। पेशे का नाम स्वच्छ रखने के लिए मीडिया पेशेवरों को कुछ आचार संहिताओं का पालन करना होता है जो निम्नलिखित हैं –

क. ***शुद्धता*** - मीडियाकर्मियों द्वारा अखबार, रेडियो, टेलीविजन तथा इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गयी सूचनाएँ सही होनी चाहिए। यदि यह गलत या आधारहीन हैं तो इससे किसी व्यक्ति संस्थान या देश के हित पर क्षति पहुँच सकती है। शुद्धता के लिए मीडियाकर्मी को तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। उदाहरणार्थ यदि किसी दुर्घटना में मात्र 50 लोग मारे जाते हैं तो मीडिया को यह संख्या 200 या 500 नहीं बताना चाहिए। यदि एक मीडियाकर्मी किसी के विरुद्ध लिखता है या किसी पर बेईमानी का आरोप लगाता है तो उस व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए।

ख. ***विश्वस्तता*** - एक मीडियाकर्मी को विभिन्न स्रोतों द्वारा बतायी गयी सूचना की विश्वस्तता बनाये रखना होता है।

ग. ***स्रोत का बचाव*** - गुप्त सूचनाएँ बताने वाले स्रोत को कभी मीडियाकर्मी को उद्घाटित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि एक सरकारी अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध कराता है, तो मडियाकर्मी को किसी प्रकार की क्षति से बचाव के लिए उस व्यक्ति का नाम उद्घाटित नहीं करना चाहिए।

घ. ***गोपनीयता का अधिकार*** - एक पत्रकार को किसी व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। इससे आशय है कि किसी सामान्य नागरिक के निजी जीवन से सम्बन्धित बातें पत्रकार को नहीं लिखनी चाहिए।

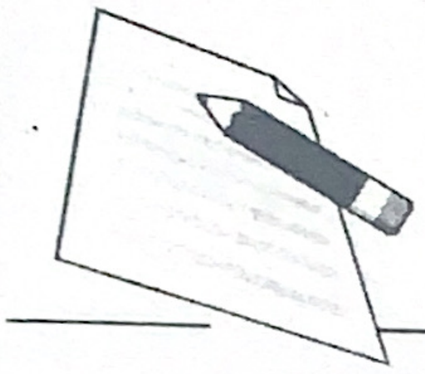

टिप्पणी

ड. ***हिंसा को न भड़काएँ*** - जन माध्यमों को जनता को हिंसा या अपराध में लिप्त होने के लिए प्रेरित करना या उकसाना नहीं चाहिए। लेख में हिंसा को महिमामंडित करने से बचना चाहिए।

च. ***अशिष्टता या अश्लीलता न हो*** - जन माध्यम ऐसा कुछ भी न लिखें, प्रदर्शित न करें या प्रसारित न करें जो अशिष्ट तथा अश्लील हो।

छ. ***सांप्रदायिक लेखन नहीं*** - भारत ऐसा देश है जहाँ लोग भिन्न–भिन्न मत तथा धर्म के अनुयायी हैं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है जिसका आशय है सभी मतों तथा धर्मों का आदर। जन माध्यमों के लिए बहुत ही आसान है कि वह विभिन्न मत तथा धर्म के वर्गों में उनके विषय में नकारात्मक लिखकर या प्रसारित करके समस्या खड़ी कर दें जिससे सांप्रदायिक समस्या भी उत्पन्न हो जाये। कई ऐसे अवसर आये हैं जब जन माध्यमों के समाचार के कारण सांप्रदायिक दंगे और मारकाट फैले हैं। जन माध्यमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जनता के हित में काम करें।

3.4 जन माध्यमों के प्रभाव

पहले के खंड में आपने लोगों पर जन माध्यमों के गहन प्रभाव को समझा। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जन माध्यमों का प्रभाव भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। आइये अब हम जन माध्यम के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव को समझें।

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
• जन माध्यम ऐसे समाचार तथा सूचनाएँ दें, जो लोगों के लिए उपयोग हों। • जन माध्यम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। • जन माध्यम एक लोकतांत्रिक राज्य को प्रभावशाली ढंग से काम करने में मदद करते हैं। वे जनता को सरकार की नीतियों, योजनाओं के विषय में जानकारी देते हैं तथा यह भी बताते हैं कि किस प्रकार ये योजनाएँ लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। माध्यम जनता की आवाज भी सरकार तक पहुँचाते हैं जिससे सरकार को	• जन माध्यमों द्वारा देश की परम्परागत संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ना है। • मनोरंजन जन माध्यमों का मुख्य अंग बन गया है। इससे माध्यम के प्राथमिक उद्देश्य सूचित तथा शिक्षित करने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। • जन माध्यम हिंसा को उकसाते हैं। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि टेलीविजन तथा सिनेमा पर दिखाये गये हिंसा का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

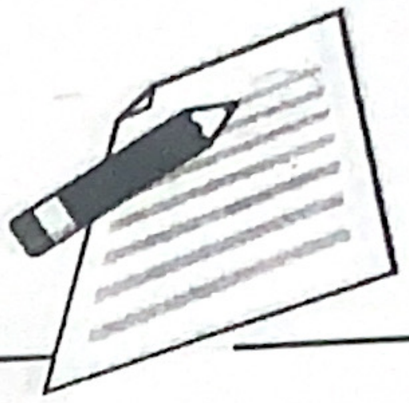

टिप्पणी

अपनी नीति तथा योजनाओं में आवश्यक बदलाव लाने में मदद मिलती है।

- जन माध्यम लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं।
- जन माध्यम विकास में परिवर्तन के कारक बन सकते हैं।
- जन माध्यमों ने दुनिया के लोगों को एक–दूसरे के निकट ला दिया है।
- जन माध्यम विज्ञापन द्वारा व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करते हैं।
- जन माध्यम एक देश की राजनीतिक व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोगी होते हैं।
- जन माध्यम सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 3.2

1. मीडियाकर्मियों द्वारा पालन किये जाने वाले पाँच आचार संहिताएँ बताइये।
2. जन माध्यमों के कोई तीन सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव बताइये।

3.5 आपने क्या सीखा

- जन माध्यमों की भूमिका तथा प्रभाव
- जन माध्यम तथा लोकतंत्र
- माध्यमों के कार्य तथा उत्तरदायित्व
  - सूचना के स्रोत
  - परिवर्तन में सहयोग
  - दुनिया को निकट लाना
  - उत्पादों के वितरण को प्रोत्साहन

– मीडिया आचार संहिता

- शुद्धता
- विश्वस्तता
- स्रोत का बचाव
- गोपनीयता का अधिकार
- हिंसा को न भड़काना
- अशिष्टता या अश्लीलता न हो
- सांप्रदायिक लेखन नहीं

– मीडिया का प्रभाव

- सकारात्मक
- नकारात्मक

3.6 पाठान्त प्रश्न

1. जन माध्यम तथा लोकतंत्र के बीच सम्बन्ध की विस्तार से व्याख्या कीजिये।
2. मीडिया आचार संहिता क्या है? मीडियाकर्मी द्वारा पालन किये जाने वाली आचार संहिता की सूची बनाइये।
3. जनता पर जन माध्यमों के विभिन्न सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिये।

3.7 पाठगत प्रश्नों के उत्तर

3.1 1. (i) भारत

(ii) चुने गये प्रतिनिधि

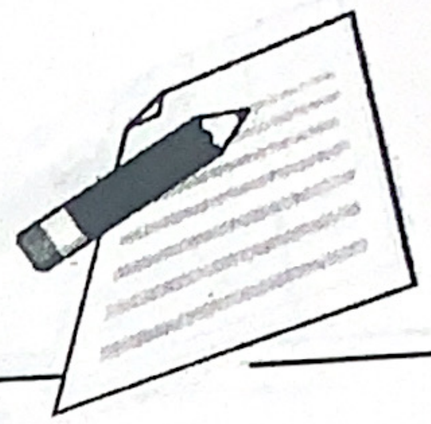

टिप्पणी

(iii) सूचना, सरकार

(iv) चौथा

(v) दृष्टिकोण तथा आदत

2. विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका

3. भाग 3.1 देखें

3.2 1. भाग 3.3 देखें

2. भाग 3.4 देखें